भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 962

सोमवार, 10 फरवरी, 2025/21 माघ, 1946 (शक)

विश्वविद्‌यालयों में कैरियर परामर्श केंद्र

962. **डॉ. विनोद कुमार बिंद:**
श्री दामोदर अग्रवाल:
श्री धर्मबीर सिंह:
श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी:
श्री शंकर लालवानी:
श्री पी. सी. मोहन:
श्री अनूप प्रधान वाल्मीकि:
श्री भर्तृहरि महताब:
श्रीमती शोभनाबेन महेन्द्रसिंह बारैया:
श्री सुरेश कुमार कश्यप:
श्री परषोत्तमभाई रुपाला:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विश्वविद्‌यालयों में कैरियर परामर्श केंद्र स्थापित करने के उद्‌देश्यों संबंधी ब्यौरा क्या है और छात्रों पर उनके दीर्घकालिक प्रभाव क्या होंगे साथ ही इन केंद्रों की स्थापना कब तक की जाएगी;

(ख) इन केंद्रों में औद्‌योगिक निकायों, विश्वविद्‌यालयों और सरकार के बीच प्रभावी सहयोग सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल को किस प्रकार तैयार किया गया है;

(ग) इन कैरियर परामर्श केंद्रों को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए सीआईआई, फिक्की और एसोचैम जैसे औद्‌योगिक निकायों द्‌वारा निभाई जाने वाली संभावित भूमिका क्या है;

(घ) क्या इन केंद्रों द्‌वारा प्राप्त शिक्षा और उद्‌योग विशिष्ट की आवश्यकताओं के बीच अंतर को पाटने के लिए छात्रों को कोई विशिष्ट कौशल विकास कार्यक्रम या संसाधन उपलब्ध कराए जाने हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ङ): राष्ट्रीय करियर सेवा योजना के तहत, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार ने राष्ट्रीय करियर सेवा पोर्टल नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म [www.ncs.gov.in] के माध्यम से नौकरी खोज और मिलान, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्‌यक्रमों की

जानकारी, ऑनलाइन और ऑफलाइन रोजगार मेलों की जानकारी, रोजगार योग्यता मूल्यांकन, रोजगार योग्यता वृद्धि प्रशिक्षण कार्यक्रम इत्यादि सहित करियर से संबंधित सेवाएं प्रदान करने के लिए देश भर में 400 मॉडल करियर सेंटर (एमसीसी) को मंजूरी दी है। पूरे भारत में (विश्वविद्यालयों सहित) संचालित एमसीसी की सूची https://dge.gov.in/dge/sites/default/files/2022-12/List%20of%20400%20Model%20Career%20Centres.pdf पर देखी जा सकती है।

संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें अपने रोजगार कार्यालयों/संस्थानों में इस मॉडल को अपना सकती हैं। दिशानिर्देशों के अनुसार, एमसीसी को सीआईआई, फिक्की, एसोचैम आदि जैसे उद्योग संगठनों के सहयोग से या व्यावसायिक स्कूलों, कौशल संस्थानों, निजी संस्थाओं इत्यादि के सहयोग से पीपीपी मॉडल के तहत संयुक्त रूप से संचालित किए जाने का विकल्प है।

*****